7. प्रत्येक पंजीकृत छात्र न्यूनतम 05 ऐसे परिवारो को नामित कर सकेगा जिन्हे इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तथा जिन्हे वह सेवा देने हेतु तैयार होगा परन्तु ये परिवार उनके संबंधी नहीं होने चाहिये । सबंधित अधिकारी के द्वारा सत्यापन होने पर ही नामांकन हो सकेगा ।
8. पंजीकृत छात्र—छात्रा को कार्यक्रम समन्वयक, जिला प्रशासन, शासकीय अस्पताल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, समाज कल्याण विभाग के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा चिन्हाँकित परिवार में सेवा सुविधा प्रदाय करना होगा ।
9. प्राचार्य एवं कार्यक्रम समन्वयक तत्काल अस्पाल प्रबंधन, समाज कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पुलिस विभाग से संपर्क एवं बैठक कर उन्हें कार्यक्रम का उद्देश्य की जानकारी देकर लक्षित परिवार/दंपत्ति/व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करें । कार्यक्रम समन्वयक प्रारंभिक अवस्था में लक्षित परिवार/दंपत्ति/व्यक्ति से संपर्क कर उन्हें कार्यक्रम/उद्देश्य/गतिविधि की जानकारी देकर उनकी सहमति प्राप्त करें । संबंधित प्राचार्य एवं कार्यक्रम समन्वयक कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर अथवा मार्गदर्शन, निर्देशन एवं सहयोग प्राप्त करेंगे ।
10. इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की दुर्धटना या समस्या न आने देने हेतु सम्बन्धित पुलिस थाना को भी सूचित किया जायेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. समरेन्द्र सिंह)
राज्य एनएसएस अधिकारी व
पदेन उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक 888/उ.शि/335/एफ—38—2/रा.से.यो./2021 रायपुर, दिनांक 15/06/2021

प्रतिलिपि :—

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, समस्त जिला, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. कुलसचिव, समस्त रासेयो युक्त विश्वविद्यालय छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. कार्यक्रम समन्वयक, छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. समस्त जिला संगठक, राष्ट्रीय सेवा योजना, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ ।

राज्य एनएसएस अधिकारी व
पदेन उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग